

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 281]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 26 जून 2023 — आषाढ 5, शक 1945

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 19 जून 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-3/आठ-परि/2022. — मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 65 तथा छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 21 सहपठित धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची में,—

तृतीय अनुसूची के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची जोड़ा जाये, अर्थात्:—

“चतुर्थ अनुसूची

मोटर वाहन कर में रियायत

स. क्र.	प्रयोजन	मोटरयान कर में रियायत				
(1)	(2)	(3)				
1.	यदि वाहन “निक्षेप प्रमाणपत्र” प्रस्तुत करने पर पंजीकृत किया जाता है, तो मोटरयान के पंजीयन के समय यान का स्केपिंग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर	गैर-परिवहन यानों के मामले में मोटरयान कर में रियायत (प्रतिशत में), जिसका उपयोग पंजीकरण की तिथि से 15 वर्ष तक किया जा सकेगा।	परिवहन यानों के मामले में मोटरयान कर में रियायत, जिसका उपयोग पंजीकरण की तिथि से 08 वर्ष तक किया जा सकेगा।			
		जीवनकाल कर देय वाहन हेतु	त्रैमासिक कर देय वाहन हेतु	जीवनकाल कर देय वाहन हेतु	त्रैमासिक कर देय वाहन हेतु	मासिक कर देय वाहन हेतु
		25 प्रतिशत कर छूट	प्रारंभिक 04 त्रैमासिक कर की राशि से छूट	15 प्रतिशत कर छूट	प्रारंभिक 04 त्रैमासिक कर की राशि से छूट	प्रारंभिक 03 माह के स्पेयर कर के बराबर की राशि से छूट

- (क) मोटर साईकिल,
 (ख) अशक्त यात्री गाड़ी,
 (ग) हल्का मोटरयान,
 (घ) मध्यम यात्री मोटरयान,
 (ङ.) मध्यम माल यान,
 (च) भारी यात्री मोटरयान,
 (छ) भारी माल यान,
 (ज) ई-रिक्शा,
 (झ) ई-कार्ट,
 (ञ) किसी विनिर्दिष्ट वर्णन का कोई अन्य मोटर यान।

उपरोक्त वर्गीकृत अनुसार, रियायत, समान प्रकार की वाहनों पर लागू होगी।

वाहनों के स्कैपिंग हेतु शर्त (1)	छूट (2)	टिप्पणियां (3)
पंजीकृत यान स्कैपिंग सुविधा (आरव्हीएसएफ) सेंटर के माध्यम से स्कैपिंग करने पर	स्कैपिंग दिनांक से पूर्ववर्ती एक वर्ष तक का मोटरयान कर, शास्ति एवं ब्याज राशि में पूर्णतः छूट	किन्तु ऐसे वाहन, जिनका मोटरयान कर जमा हो चुके है, ऐसे मोटरयान कर, शास्ति एवं ब्याज की राशि, किसी भी स्थिति में, वापसी या समायोजन योग्य नहीं होंगे।”

यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. पाण्डेय, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 19th June 2023

NOTIFICATION

No. F 5-3/VIII-Trans./2022. – In exercise of the powers conferred by Section 65 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) and Section 21 read with Section 23 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhinyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, makes the following amendment in the said Act, namely:-

AMENDMENT

In Schedule of the said Adhinyam,-

After Third Schedule, the following Schedule shall be added, namely:-

“FOURTH SCHEDULE

Concession in Motor Vehicle Tax

S.No. (1)	Purpose (2)	Concession in Motor Vehicle Tax (3)				
		1.	If the vehicle is registered on production of “deposit certificate”, then on production of the vehicle’s scrapping certificate at the time of registration of the motor vehicle.	Concession in motor vehicle tax (in percentage) in case of non-transport vehicles, which can be availed up to 15 years from the date of registration.	Concession in motor vehicle tax in case of transport vehicles, which can be used for 08 years from the date of registration.	
		For Life time Taxable Vehicle	For Quarterly tax payable vehicle	For Life time Taxable Vehicle	For Quarterly tax payable vehicle	For Monthly tax payable vehicle
		25 percent tax exemption	Exemption from initial 04 quarterly tax amount	15 percent tax exemption	Exemption from initial 04 quarterly tax amount	Exemption from the amount equal to spare tax of initial 03 months

- (a) a motor cycle,
(b) an invalid carriage,
(c) a light motor vehicle,
(d) a medium passenger motor vehicle,
(e) medium goods vehicle,
(f) heavy passenger motor vehicles,
(g) heavy goods vehicle,
(h) e-rickshaw,
(i) e-cart,
(j) any other motor vehicle of a specified description.

The concession shall be applicable to similar types of vehicles as classified above.

Condition for scrapping of vehicles (1)	Discount (2)	Remark (3)
scrapping through the Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF)center	Full waiver in motor vehicle tax, penalty and interest amount for the preceding one year from the date of scrapping	But such vehicles whose motor vehicle tax has been deposited, the amount of such motor vehicle tax, penalty and interest will not be refundable or adjustable under any circumstances.”

This notification shall be effective from the date of publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R.P. PANDAY, Deputy Secretary.